न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या 03/2011

प्रार्थीगण		**विप्रार्थीगण**
1. बच्चू खॉ पुत्र कला 2. ईनायत खॉ पुत्र कला जाति मुसलमान निवासी कंटल का पार तहसील रामसर जिला बाड़मेर	बनाम	1. दायम खॉ पुत्र हाजी दरिया जाति मुसलमान निवासी अभे का पार तहसील रामसर जिला बाड़मेर 2. ग्राम पंचायत गागरिया बजरिये सरपंच

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा दिनांक 5.11.2009 जो ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी की ओर से श्री मुकेश जैन अधिवक्ता उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं0 01 की ओर से श्री मलार खॉ उपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 02 एक तरफा।

निर्णय

दिनांक 25.4.2017

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी भूखण्ड का पट्टा दिनांक 5.11.2009 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 को भूखण्ड का पट्टा दिनांक 5.11.2009 जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम की धारा 157 (क, ख) की पालना नहीं की गई। विप्रार्थी संख्या 01 को निजी लाभ पहुंचाये जाने के उद्वेश्य से नियम विरूद्व पट्टा दिनांक 5.11.2009 जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत गागरिया से उक्त विवादित पट्टे से संबधित रेकर्ड तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री मलार खॉ अधिवक्ता उपस्थित हुए। विप्रार्थी संख्या 02 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

4. विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से दिनांक 24.8.2011 को जवाब पेश किया। हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया कि ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत राज नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। पट्टे पर नम्बर अंकित नहीं है। जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, उस पर विप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा 35 वर्षो से बताया है जबकि विप्रार्थी संख्या 01 की तत्समय उम्र 25 वर्ष थी। विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम सोडाई का निवासी है, जबकि स्वयं को अभे का पार का निवासी बताया गया। ग्राम पंचायत गागरिया विप्रार्थी संख्या 01 को नियम विरूद्व निजी लाभ पहुंचाये जाने की दृष्टि से जारी किया गया उक्त पट्टा निरस्त किया जायें।

5. विप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा दिनांक 5.11.2009 को पंचायती राज अधिनियम के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा संख्या 107 दिनांक 5.11.2009 जारी किया गया है। जारी किये गये पट्टे में मिसल संख्या 37 एवं पट्टा नंबर 107 एवं. जारी करने की तिथि का स्पष्ट पूर्ण से अंकित है। वादग्रस्त भूखण्ड पर विप्रार्थी संख्या 01 व उसके पूर्वजो का कई वर्षो से कब्जा एवं स्वामित्व है। ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पुर्वजो के कब्जे के आधार पर उसे पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी विप्रार्थी संख्या 01 पर दबाव बनाने एवं उसके स्वामित्व व कब्जे के भूखण्ड को हड़पने एवं उसे परेशान करने की दृष्टि से पेश की गई है, जो सारहीन एवं आधारहीनं होने से खारिज की जावें।

6. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत गागरिया के रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन कि विप्रार्थी संख्या 01 के हक में ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा जारी किया गया पट्टा नियम विरूद्व है। इस संबंध में ग्राम पंचायत गागरिया की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता हैं कि

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

विप्रार्थी संख्या 01 ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत गागरिया के समक्ष आवेदन पत्र पेश किये जाने पर सरपंच ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 107 दिनांक 5.11.2009 रूपये 200/– शुल्क के रूप में जमा कर जारी किया गया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 की धारा 157 (ख) के अन्तर्गत 50 वर्षो के दौरान् बने पुराने मकानो हेतु 200/–शुल्क जमा कर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार है। परन्तु हस्तगत निगरानी में विप्रार्थी संख्या 01 की तत्समय आयु 25 वर्ष थी जबकि विवादग्रस्त भूखण्ड पर उसका कब्जा 35 वर्षो से होना बताया गया। उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड की तहसीलदार रामसर से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार पट्टे में वर्णित भूमि खाली पड़ी है, उसके अन्दर किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण किया हुआ नहीं है। विप्रार्थी संख्या 01 गांव सोडाई का निवासी है परन्तु स्वयं को गांव अभे का पार का बताते हुए विवादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत गागरिया से जारी करवाया गया। इससे यह साबित होता हैं कि विप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा संख्या 107 दिनांक 5.11.2009 कुटरचित एवं फर्जी तरीके से जारी किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 107 दिनांक 5.11.2009 खारिज किया जाता है।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय आज दिनांक 25.4.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)